



न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति वन्दना सिंघवी आई.ए.एस

अपील संख्या: 02/2016 राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959

GCMS No. 2016/00132

1. डॉ. अनन्त प्रकाश गोयल पुत्र श्री रमेश चन्द गोयल, जाति गोयल पेशा डॉक्टर,
निवासी बी-4 शास्त्री नगर, नागणेची विस्तार योजना, बीकानेर।

— अपीलान्त

बनाम

1. नगर विकास न्यास बीकानेर जरिये सचिव नगर विकास न्यास, बीकानेर।
2. तहसीलदार, नगर विकास न्यास, बीकानेर।
3. डॉ. पी.आर ओझा पुत्र श्री नाम नामालूम जाति ओझा निवासी ड्यूप्लेक्स कॉलोनी (हाउसिंग बोर्ड के पास) बीकानेर।
4. डॉ. के. के. वर्मा पुत्र श्री नाम नामालूम जाति वर्मा, निवासी ड्यूप्लेक्स कॉलोनी बीकानेर।
5. एस एन जोशी पुत्र श्री नाम नामालूम जाति जोशी निवासी ड्यूप्लेक्स कॉलोनी बीकानेर।
6. संतोष कुमार शर्मा पुत्र श्री नाम नामालूम जाति शर्मा निवासी ड्यूप्लेक्स कॉलोनी बीकानेर।
7. ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री नाम नामालूम जाति शर्मा निवासी ड्यूप्लेक्स कॉलोनी बीकानेर।
8. श्याम देवड़ा पुत्र श्री नाम नामालूम जाति देवड़ा निवासी ड्यूप्लेक्स कॉलोनी बीकानेर।
9. राम पारीक पुत्र नाम नामालूम जाति पारीक निवासी ड्यूप्लेक्स कॉलोनी बीकानेर।
10. आवासीय अभियंता राज. आवासन मंडल खण्ड प्रथम, बीकानेर।

— रेस्पोंडेंट्स

उपस्थित: श्री अनिल आचार्य	— अभिभाषक अपीलांत
श्री दाऊलाल हर्ष	— अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2
श्री चतुर्भज सारस्त	— अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 3 ता 9
श्री गुलशन शर्मा	— अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 10

निर्णय


दिनांक 11.06.2024

यह अपील राजस्थान राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 90-क(2) के अन्तर्गत तहसीलदार नगर विकास न्यास बीकानेर के निर्णय दिनांक 18.11.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि -

1- अपीलांत व उसकी पत्नी डॉ. रीना गोयल ने जरिये बैयनामा संयुक्त नाम से नागणेची योजना (नागणेची विस्तार योजना) बीकानेर में संयुक्त नाम से जरिये बैयनामा दिनांक 29.01.2009 को श्री महेश कुमार पुत्र गीगाराम तंवर से खरीद की गई थी। ड्यूप्लेक्स कॉलोनी के निवासीयों ने अपीलांत के द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड के पिछे सड़क पर अतिक्रमण करने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई। जिस पर कार्यवाही करते हुए नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा नोटिस जारी किया। अपीलांत द्वारा नोटिस के जवाब नहीं दिये जाने पर तहसीलदार नगर विकास न्यास बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 18.11.2015 में अपीलांत को अतिक्रमी घोषित करते हुए अतिक्रमित क्षेत्र खाली करने के आदेश प्रदान किये। तहसीलदार नगर विकास न्यास बीकानेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2022 से व्यथित होकर अपीलांत ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2- विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांत ने वादग्रस्त जायदाद अपीलांत व उसकी पत्नी डॉ. रीना गोयल ने जरिये बैयनामा संयुक्त नाम से नागणेची योजना (नागणेची विस्तार योजना) बीकानेर में संयुक्त नाम से जरिये बैयनामा दिनांक 29.01.2009 को श्री महेश कुमार पुत्र गीगाराम तंवर से खरीद की गई थी। अपीलांत के निर्माण

संभागीय आयुक्त
बीकानेर



के विरुद्ध नगर विकास बीकानेर में शिकायत प्रस्तुत हुई। नगर विकास न्यास द्वारा शिकायत पर कार्यावाही करते हुए नोटिस जारी किया। जो नोटिस जारी किया गया वो अपीलान्त के नाम से नहीं था। नगर विकास न्यास का नोटिस एके. गोयल के नाम से जारी है। जबकि अपीलान्त का नाम अनंत प्रकाश गोयल है। ड्युप्लेक्स कॉलोनी बीकानेर की भूमि पर अपीलान्त का कोई निर्माण अपीलान्त का नहीं है और ना ही ड्युप्लेक्स कॉलोनी निवासी है। अपीलान्त बी 04 नागण्ठी विस्तार योजना बीकानेर में निवास करता है। उक्त नोटिस में कब्जा या अवरोध हटाने का अकन किया गया है परन्तु कब्जे या अवरोध के संबंध में कोई आसा पास, सीमाएं अंकित नहीं है। अपीलान्त एवं उसकी पत्नी के नाम की कोई शिकायत नहीं रही है नोटिस क्रमांक 22 डां ए के. गोयल के नाम से जारी शुदा है। अपीलान्त का नाम ही नहीं है। फिर भी उक्त नोटिस व निर्णय को कानून व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित अपीलार्थी पर लागू किया गया। तहसीलदार नगर विकास न्यास ने अपीलान्त को सुनवाई को मौका भी नहीं दिया। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2015 निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्त स्वीकार की जावे। अभिभाषक अपीलान्त द्वारा अपनी बहस में डीएनजे(राज) 2000-01 पेज नंबर 113 के न्यायिक दृष्टांत का हवाला दिया है।

3- विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1 एवं 2 ने बहस के दौरान कथन किया कि नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा पूर्ण विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2015 जारी किया है। नगर विकास न्यास बीकानेर को वादग्रस्त जायदाद से अतिक्रमण हटाने का कानूनी क्षेत्राधिकार है। अतः अपील अपीलान्त निरस्त की जावे।

4- विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 3 ता 9 बहस के दौरान अनुपस्थित रहे।

5- विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 10 ने बहस के दौरान कथन किया कि आवासन मण्डल की डुप्लेक्स कॉलोनी की तरफ शास्त्री नगर यूआईटी की कॉलोनी को पिछवाडा हैं। अपीलान्त सहित शास्त्री नगर के आवंटियों ने नगर विकास न्यास के नियमों के विरुद्ध डुप्लेक्स कॉलोनी की तरफ जल-मल निस्तारण, जल-विद्युत कलेक्शन आदि अवैध कार्य किए हैं, साथ ही शास्त्री नगर आवंटि अपने भूखण्ड के पीछे यानि ड्युप्लेक्स कॉलोनी की तरफ अवैध रूप से दरवाजे व खिड़किया, छज्जे, बॉलकोनी एवं रेम्प बनाकर आवासन मण्डल की इन्टरनल रोड पर कब्जा कर मात्र 25 फिट रोड को और संकड़ा कर रहें है। जबकि युआईटी ने उन्हें 40 फिट रोड एवं जल-मल निस्तारण का सिस्टम दे रखा है। अतः अपील अपीलान्त निरस्त की जावे।

6- हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अभिभाषक अपीलान्त ने प्रार्थना धारा-5 मियाद अधिनियम एवं न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलान्त को मियाद में शुमार किया जाता है। तहसीलदार नगर विकास न्यास बीकानेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2015 स्वीकृत मानचित्र के अलावा किए गए कार्यों के लिए अपीलान्त को अतिक्रमी माना है, जो न्यायोचित है। तहसीलदार नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2015 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। अतः तहसीलदार नगर विकास न्यास बीकानेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2015 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्त इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

7- तदनुसार अपील अपीलान्त निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वंदना सिधवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर